

XIV

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597]
No. 597]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2000/अग्रहायण 3, 1922
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2000/AGRAHAYANA 3, 1922

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2000

सा.का.नि. 893(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उपधारा (2) के खंड 1छ। और धारा 200 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976, के अध्याय V में नियम 5.18 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

“5.18. गाड़ी को अग्रिम स्थिति तक लाना :-

(1) प्रस्थान प्राधिकार की प्रतीक्षा करने वाली गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए अग्रिम प्रस्थान सिग्नल तक लाने की, उस स्थिति का छोड़कर जहाँ प्रस्थान और अग्रिम प्रस्थान सिग्नलों के बीच गाड़ी की अग्रिम स्थिति में उपस्थिति का संकेत देने के लिए ट्रैक सर्किट अथवा एक्सल काउंटर लगाए गए हैं, अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) उपनियम (1) का उपबंध, किसी स्टेशन सेक्शन के भीतर ही किसी गाड़ी की शंटिंग की दशा में लागू नहीं होगा।”

टिप्पणी :— मूल नियम तारीख 21 जुलाई, 1981 की अधिसूचना संख्या साकानि, 445/अ/ के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे :-

- (1) साकानि, 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983
- (2) साकानि, 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983
- (3) साकानि, 514 (अ), तारीख 27 जून, 1983
- (4) साकानि, 476 (अ), तारीख 28 जून, 1984
- (5) साकानि, 245, तारीख 23 मई, 1992
- (6) साकानि, 83, तारीख 17 फरवरी, 1996
- (7) साकानि, 101, तारीख 23 मई, 1998
- (8) साकानि, 47, तारीख 13 फरवरी, 1999
- (9) साकानि, 213 (अ), तारीख 18 मार्च, 1999
- (10) साकानि, 283 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999
- (11) साकानि, 581 (अ), तारीख 3, जुलाई, 2000
- (12) साकानि, 708 (अ), तारीख 6 सितम्बर, 2000 और
- (13) साकानि, 852 (अ), तारीख 8 नवम्बर, 2000

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2000

G.S.R. 893(E)— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section(2) of section 60, read with section 198 and clause (a) of sub-section(2) of section 200, of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :-

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Third Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in Chapter V, for rule 5.18, the following rule shall be substituted, namely :-

“5.18. Drawing of a train to an advanced position - (1) A train waiting for an authority to proceed shall not be allowed to draw out upto an Advance Starter for despatch, except where track circuit or Axle Counter has been provided between the Starter and Advance Starter to indicate the presence of a train in advanced position.

(2) The provision of sub-rule (1) shall not apply in case of shunting of a train within a station section itself.”

[No. 99/Safety (A&R)/19/9]

SHANTI NARAIN, Member Traffic, and Ex-Officio Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number GSR 445(E), dated the 21st July, 1981, and subsequently amended vide Notifications number :-

- (1) GSR 320, dated the 16th April, 1983,
- (2) GSR 352, dated the 30th April, 1983,
- (3) GSR 514(E), dated the 27th June, 1983,
- (4) GSR 476(E), dated the 28th June, 1984,
- (5) GSR 245, dated the 23rd May, 1992,
- (6) GSR 83, dated the 17th February, 1996,
- (7) GSR 101, dated the 23rd May, 1998,
- (8) GSR 47, dated the 13th February, 1999,
- (9) GSR 213(E), dated the 18th March, 1999,
- (10) GSR 283(E), dated the 26th April, 1999,
- (11) GSR 581(E), dated the 3rd July, 2000,
- (12) GSR 708(E), dated the 6th September, 2000 and
- (13) GSR 852(E), dated the 8th November, 2000.

